58

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 206–।।।/1989 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–7–1989 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर प्रकरण कमांक 290/अ–6/1987–88

श्रीमती श्यानीबाई पत्नी अनंतराम लोधी
पुत्री लाड़ले लोधी निवासी ग्राम परसोरिया
हाल निवासी बॅम्होरी तहसील हटा जिला
दमोह (म.प्र.) ....आवेदिका

विरूद्ध

1– अनन्दी तनय फदाली लोधी
2– श्रीमति बृजरानी पत्नी अनन्दी लोधी
3– भगवानदास तनय रामप्रसाद लोधी
4– गोकल तनय रामप्रसाद लोधी
निवासीगण ग्राम परसोरिया तहसील
सागर जिला सागर (म.प्र.) ....अनावेदकगण

(आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री ओ.पी.शर्मा)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.वाजपेयी)

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक 7-2, 2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण कमांक 290/अ–6/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 17–7–1989 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा ग्राम परसोरिया एवं चांदवार में स्थित भूमि पर उसके पिता लाडले की मृत्यु पश्चात् 1/3 भाग पर नामान्तरण किये जाने वावत् नायब तहसीलदार, सागर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसे नायब तहसीदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–6/1984–85 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 27–10–1987 को आवेदिका का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज करने का निर्देश दिया गया। नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सागर के समझ अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 50/अ–6/1987–88 पर दर्ज की जाकर, आदेश दिनोक 11–5–1988 के द्वारा स्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त सागर के समझ अपील पेश की जो प्रकरण कमांक 290/अ–6/1987–88 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 17–7–1987 पारित कर अपील खारिज की गई। अपर आयुक्त सागर के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्धान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक है अनावेदकगण का खानदानी संपत्ति को पूरा प्राप्त करने का कोई हक नहीं थी। आवेदिका मृतक लाड़ले की वैध पुत्री है और उसे अपने पिता से प्रश्नाधीन भूमि पर संपत्ति अधिकार प्राप्त हुए है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमू 1956 की धारा 14 (1) के तहत आवेदिका को लाड़ले के हिस्से पर स्वत्व प्राप्त हो गया है जिसे न मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है।

उनका तर्क है कि, साक्ष्य से आवेदिका की मॉ नरवारीवाली लाड़ले की पत्नी होना तथा आवेदिका उनकी पुत्री होना भलि भांति सिद्ध है। निर्विवाद रूप से लोधी जाति में करी की प्रथा प्रचिलित रही है और साक्ष्य से नरवारीवाली श्री लाड़ले की पत्नी होना सिद्ध है और समाज में उसी के अनुसार दोनों को पति पत्नी के रूप में मान्य किया गया है इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका को लाड़ले की पुत्री न मानने में गंभीर भूल की गई है। अतं में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, आवेदिका मृतक लाड़ले की बैध पुत्री नहीं है। नरवारीवाली लाड़ले की वैध पत्नी नहीं थी। आवेदिका मृतक लाड़ले की अवैध संतान होने से उसे संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। लाड़ले और अनावेदकगण के बीच वर्ष 1928 में बंटवारा हो गया था और लाड़ले अपनी संपत्ति को पहले ही बेच चुका था। राजस्व रिकॉर्ड में अनावेदकगण का ही नाम दर्ज है। इस प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भी लागू नहीं होता है। अतं में उनके द्वारा निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि, आवेदिका मृतक लाड़ले की वैध पुत्री नहीं है नरवारीवाली लाड़ले की वैध पत्नी नहीं थी, जिस कारण आवेदिका मृतक लाड़ले की अवैध संतान होने से उसे सयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण आवेदिका के अधिवक्ता ने हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 14(1) का जो संदर्भ दिया है वह यंहा लागू नहीं होता है क्योंकि प्रथम तो लाड़ले और नरवारीवाली का विवाह प्रमाणित नहीं कराया गया है दूसरे लेखक और मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि नरवारीवाली 17 जून 1956 को प्रश्नाधीन भूमि पर वास्तविक रूप से काविज थी। इसलिए हिन्दू उत्तराधिकारी की धारा 14 लागू नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया आदेश उचित होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–7–1989 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। तथा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात् प्रकरण समाप्त होकर दाखिला रिकॉर्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर